

न्यायालय:व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.
(पीठासीन अधिकारी-श्रीष कौलाश शुक्ल)

संस्थित दिनांक 31.10.2013

फाईलिंग क.234503003952013

तेजलाल पिता घासीराम, आयु 30 वर्ष, जाति बंजारा
निवासी-ग्राम माटे(दमोह) तहसील बिरसा
जिला बालाघाट म०प्र०।

..... वादी

:- विरुद्ध :-

1-पदुमलाल पिता दुकलू, आयु 35 वर्ष, जाति मरार
निवासी-ग्राम माटे(दमोह) तहसील बिरसा
जिला बालाघाट म०प्र०।

2-मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर बालाघाट

.....प्रतिवादीगण

:: निर्णय ::

(आज दिनांक 23/06/2016 को घोषित किया गया)

01- वादी द्वारा यह वाद विवादित संपत्ति ग्राम माटे प.ह.नंबर-38, रा. नि.मं. दमोह, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर-204/1, रकबा 0.243 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 204/2 रकबा 0.243 हेक्टेयर भूमि के विषय में कब्जा प्राप्ति के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02- आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के स्वत्व की भूमि मौजा माटे, प.ह.नं. 38, राजस्व निरीक्षक मण्डल दमोह, तहसील बिरसा जिला बालाघाट की सर्वे नंबर क्रमांक-116/17, रकबा 0.251 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक-204/1, 204/2 रकबा क्रमशः 0.243, 0.243 हेक्टेयर भूमि है। यह भूमि वादी के पिता घासीराम ने वादी के नाबालिग आयु के समय पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय की थी और वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात् से ही लगातार वादी का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने सर्वे क्रमांक-204/1 तथा सर्वे क्रमांक-204/2 की भूमि पर अतिक्रमण किया है और प्रतिवादी को अतिक्रमण हटाने की बात को लेकर प्रतिवादी द्वारा वादी से विवाद किया जाता है। वादी ने विवादित भूमि का सीमांकन करवाया था। प्रतिवादी के कब्जे में सर्वे क्रमांक-204/1 एवं 204/2 की 0.15 डिसमिल भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया था, इसके पश्चात् कब्जा वापस प्राप्ति हेतु वादी ने तहसीलदार के समक्ष भू-राजस्व संहिता की धारा-250 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया और दिनांक-24.08.2009 को प्रतिवादी को कब्जा हटाए जाने के आदेश भी पारित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी ने अनुविभागीय अधिकारी बैहर के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। पुनः वादी ने वर्ष 2011-12 में विवादित भूमि से प्रतिवादी द्वारा कब्जा हटाए जाने के संबंध में तहसीलदार बैहर के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया, परंतु तहसीलदार ने आवेदनपत्र क्षेत्राधिकारिता न होने से निरस्त कर दिया। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्रमांक-1

से वादी के स्वत्व की भूमि का कब्जा वापस दिलाया जावे।

03— वादी के अभिवचनों का प्रात्याख्यान कर अपने जवाब में प्रतिवादी क्रमांक-1 ने यह कहा है कि प्रतिवादी ने वादी की भूमि पर कब्जा नहीं किया। तहसीलदार बैहर द्वारा पारित प्रकरण क्रमांक-9अ/70 में पारित आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी ने राजस्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। वादी तथा प्रतिवादी की भूमि ग्राम माटे में आपस में लगकर स्थित है। प्रतिवादी का उस भूमि पर शांतिपूर्ण आधिपत्य विगत अनेक वर्षों से है। वादी के पिता ने वादी के नाम पर विवादित भूमि को क्रय बाद में किया था। जबकि प्रतिवादी क्रमांक-1 के स्वत्व की भूमि वादी द्वारा भूमि क्रय किये जाने से पूर्व ही ग्राम माटे में स्थित है। वादी ने प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा 15 डिसमिल की भूमि पर कब्जा करने का उल्लेख किया है, परंतु कब्जा कितने स्थान पर किया गया है, यह बात स्पष्ट नहीं की है। वादी ने प्रतिवादी को परेशान करने के लिए दावा प्रस्तुत किया है। अतएव निरस्त किया जावे।

04— प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा आपस में राजीनामा हो जाने के आधार पर एक आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 व्य.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया। आवेदनपत्र में उभयपक्ष ने न्यायालय से यह निवेदन किया है कि न्यायालय द्वारा कमिशनर नियुक्त कर विवादित स्थान के विषय में प्रतिवेदन आहूत किया गया था, जो प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन अनुसार प्रतिवादी क्रमांक-1 ने वादी की 11 डिसमिल भूमि पर अवैध कब्जा किया होना पाया गया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 अवैध कब्जे की 11 डिसमिल भूमि का कब्जा वादी तेजलाल को देने को तैयार है। उपरोक्त समझौते के आधार पर वे प्रकरण का निराकरण करना चाहते हैं।

05— आवेदनपत्र वादी के शपथपत्र से समर्थित है। पक्षकार न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। उन्होंने आवेदनपत्र में वर्णित राजीनामा बिना किसी भय, दबाव या लालच के किया जाना व्यक्त किया है। राजीनामा की शर्तें विधि अनुकूल हैं एवं विवादित संपत्ति के संबंध में ही है। अतः आवेदनपत्र स्वीकार कर निम्न आशय की राजीनामा आज्ञा पारित की जाती है :-

1— प्रतिवादी क्रमांक-1 विवादित भूमि में उसके द्वारा किया गया अवैध कब्जे की 11 डिसमिल की भूमि का कब्जा अविलंब वादी को सौंप देगा।

2— राजीनामा आवेदनपत्र तथा प्रकरण में प्रस्तुत कमिशनर प्रतिवेदन दिनांक-12.05.2016 राजीनामा डिक्री का भाग होगा।

3— प्रकरण के स्थिति को देखते हुए उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

4— अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने अथवा सूची अनुसार, जो भी न्यून देय होगा।

5— तदनुसार राजीनामा डिक्री बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही/-

बैहर

दिनांक 23/06/2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

व्यव० न्यायाधीश वर्ग-1 बैहर, म० प्र०